प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 02009/2020-2021

दिनांक 13/01/2021

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण

संख्या:R/KAN/14408/2020-2021

पत्रावली संख्या:K-35056 दिनांक:2005-2006

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **पं. राम जी लाल शिक्षा प्रसार समिति,** **ग्राम व पोस्ट बनीपारा, जिला-कानपुर देहात उत्तर प्रदेश 209303, कानपुर देहात , 209303** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 773 दिनांक-16/09/2005 को दिनांक-16/09/2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है। 1250 रुपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(akhilesh chandra MAURYA)
7303EA10B1918A05BDAE7DA4554C1288120C4FA2
Date: 13/01/2021 3:14:03 PM, Location: Kanpur.

जारी करने का दिनांक-13/01/2021

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,

उत्तर प्रदेश।

राजकीय / अशासकीय सहायता प्राप्त / वित्-विहीन माध्यमिक विद्यालयों का विवरण

C - Un-Aided/वित्-विहीन

विद्यालय का विवरण

क्षेत्रीय कार्यालय	01 - PRAYAGRAJ
मण्डल	11 - KANPUR NAGAR
जनपद	39 - KANPUR DEHAT
विद्यालय	1192 - PT RAMJI LAL INTER COLLEGE BANIPARA KANPUR DEHAT
ई-मेल/फोन नंबर	ptramjil@gmail.com - 9839172970
तहसील/ ब्लाक / पिनकोड	2-Derapur - 1-Jhijhak - 209303
विद्यालय की स्थिति (अक्षांश / देशान्तर)	lat/lng: (26.540697,79.8710833)

सुचना (भाग - 1)

विद्यालय का यू-डायस कोड	09330401404
विद्यालय किस क्षेत्र में स्थित है?	R - ग्रामीण क्षेत्र
विद्यालय का प्रकार	M - बालक विद्यालय
शिक्षा का माध्यम	चुने
विद्यालय की मान्यता	

रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

पं0 रामजी लाल उ0मा0वि0
बनीपारा, महाराज
कानपुर देहात

पत्रांक : मा0 शि0 प0/मान्यता (इ) 2747 इलाहाबाद : दिनांक 2-11-2006

विषय : सीधे/हाई स्कूल (नवीन) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदनोपरान्त शासन ने इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7-क (क) के अन्तर्गत आपकी संस्था पं0 रामजी लाल उ0मा0वि0 बनीपारा, महाराज, कानपुर देहात को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2008 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वनटाइम) वित्तविहीन मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित दिये जाने का आदेश प्रदान किया है :--

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) प्रबन्ध तंत्र कक्षा 9 की कक्षायें संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्रामृत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें ।

(2) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् को 9वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी ।

(3) साज-सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाये ।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों की अपने स्रोतों से व्यवस्था के लिए संस्था उत्तरदायी होगी ।

(5) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था संस्था द्वारा अपने स्रोतों से की जाय ।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने के समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगे ।

कृ0 प0 उ0

PRINCIPAL
PT. RAM JI LAL INTER COLLEGE
BANIPARA MAHARAJ, KANPUR DEHAT

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी ।

(ख) विद्यालय में कक्षा 9 व 10 के अतिरिक्त यदि कोई अन्य कक्षायें संचालित की जाती है तो वे अमान्य होगी तथा हाईस्कूल का भाग नही होगी ।

टिप्पणी--इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6 (छः) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा ।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद ।
24/11/06

पृष्ठांकन सं0 : मा0 शि0 प0/मान्यता (इ) दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1--जिला विद्यालय निरीक्षक । कानपुर देहात

2--संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक । कानपुर

3--हाई स्कूल परीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद,

4--सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद ।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद ।

PRINCIPAL
RAM JI LAL BITEK COLLEGE
BAHIPARA, MAHARAJ KANPUR DEHAT

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक
रमाबाई नगर।

सेवा मे,

प्रबन्धक
पं0 रामजी लाल उ0मा0विद्यालय
बनीपारा रमाबाई नगर।

पत्रांक–मान्यता/ 16027-29 /2011–12 दिनांक 17.10.11

विषय–**कक्षा –06 से 08 तक की कक्षाये संचालित करने के सम्बन्ध मे।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ आपके प्रत्यावेदन दिनांक 03.10.2011 के द्वारा विद्यालय मे जूनियर हाईस्कूल की कक्षाये (06–08 तक की कक्षाये) संचालित करने की अनुमति चाही है,जिसमे आप द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद के द्वारा इण्टमीडिएट शिक्षा (संशोधित) अधिनियम 1987 की धारा 7क (क)के अन्तर्गत हाईस्कूल की मान्यता प्राप्त है।

आपके विद्यालय मे निम्नवत् उपलब्ध संसाधनो के भौतिक सत्यापन एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखो के आधार पर विद्यालय मे निर्मित भवन की स्थिति निम्नवत् है।

क्र.स.	भवन की स्थिति	उपलब्धता	आवश्यकता	अन्य
1	2	3	4	5
1	शिक्षण कक्ष	10	08	–
2	प्रयोगशाला	04	02	–
3	प्रधानाचार्य कक्ष	01	01	–
4	कार्यालय कक्ष	02	01	–
5	वैकल्पिक कक्ष	02	01	–
6	पुस्तकालय	01	01	
	अन्य	03		–

उपरोक्त स्थिति के अनुसार आपको शासनादेश संख्या 1139/15– 7–2011–1(06)/2011 दिनांक 15 जुलाई 2011 के प्राविधानानुसार आपके विद्यालय को कक्षा 6 से 08 तक एक–एक अनुभाग संचालित करने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि यदि कोई तथ्य छिपाया गया अथवा संज्ञान मे लाया गया जिससे अनुमति प्रभावित होती है, तो उक्त कक्षा संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

भवदीय

(नन्दलाल)
जिला विद्यालय निरीक्षक
रमाबाई नगर

पृ0स0–शि0स0/ /2011–12 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नाकिंत अधिकारियो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1 अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद
2 संयुक्त शिक्षा निदेशक कानपुर मण्डल कानपुर
3 गार्ड फाइल

जिला विद्यालय निरीक्षक
रमाबाई नगर